रोजगार के लिए मध्य प्रदेश से बाहर जाने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा

2765. श्री अजीत जोगी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राज्यिक प्रवासी (नियोजन विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बनाये जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के उन गरीब मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है जो रोजगार के लिए प्रतिवर्ष राज्य से बाहर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वर्णित अधिनियम को अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर संबंधित ठेकेदारों को कारावास जैसी बड़ी सजा का उपबंध करने पर विचार करेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 का अभिप्राय है--ऐसे कर्मकारों, जिन्हें अन्य राज्य में स्थित किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदारों द्वारा भर्ती किया जाता है, के हितों को सुरक्षित करना तथा उन्हें बईमान ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना : जब कभी इस अधिनियम के उपबंधों तथा नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए समुचित प्राधिकारियों को हिदायत दी जाती है ।

इस अधिनियम के अधीन किसी प्रतिष्ठान के लिए समुचित सरकार या तो केन्द्रीय सरकार है या राज्य सरकार इस अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए नियोजकों/ठेकेदारों को दो साल तक की कारावास की सजा या दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों से समय समय पर इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है । इस प्रकार का पिछला पत्र अक्तूबर, 1988 में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजा गया था ।

Losses to NCCF

2766. SHRI BHAGATRAM MANHAR; Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Comptroller and Auditor General of India in its report on NCCF (No. 13 of 1988) have observed that the cumulative losses of Rs. 903.09 lakhs by the end of June, 1987 (as against Rs. 624.09 lakhs of share capita:! a,nd reserve) were mainly due to the inadequacies of Management's uneconomic working of its branches, disproportionate increase in overhead expenses etc.;

(b) whether it is a fact that CAF was suspended from May, 1986 and re-instated in May, 1988 despite these serious acts of financial mismanagement; and

(c) what disciplinary action Goverment propose to take against the CAF in view of these adverse observations of CAF and his alleged involvement of the irregularities committed by him in the input and sale of Dry-dates during 1984-85?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHR D. L. BAITHA): (a) Yes, Sir.

(b) The Controller of Accounts and Finance was placed under suspension on 6-5-86 in connection with the case of supply of pulses to Food Corpn of India which was investigated by the CBI. The suspension of the CAF had been revoked by the NCCF Management on 17-5-88 in view of the fact that the CBI in its report relating to supply of pulses had not recommended any action against him and the NCCF did not consider it (lecessary to keep him under suspension any longer.

(c) The report of the CAG does not hold him responsible for the cumulative losses refered to in part (a) above. However, the Controller of Accounts and Finance is allegedly involved in the import and sale of dry dates which is currently under regular investigation by the CBI.

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

2767. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस में "नो बिल्डिंग बक ऑफ को-आपरेटिव सोसाइटी फार थी डेज शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अतिरिक्त वृद्धि के कारण भवन निर्माण कार्य में भारी बाधा आने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दामोदर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(i) मार्च 85 से नवम्बर 87 तक
(ii) दिसम्बर 87
(iii) मार्च, 88
(iv) जनवरी, 89

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

2768. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गत कई वर्षों के दौरान इस्पात के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के बावजूद, सरकार ने इस वर्ष भी इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात के मूल्यों में यह वृद्धि कोयले के मूल्यों, बिजली की दरों और परिवहन लागत में भारी वृद्धि के कारण की गयी है;

(ग) वर्तमान मूल्य वृद्धि से पहले, गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मूल्य वृद्धि की गयी थी; और

(घ) उपरोक्त प्रत्येक कारण की वजह से इस्पात के उत्पादन पर कितना वित्तीय बोझ डाला गया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री साहब राम फोलेदार) : (क) और (ख) कोयला के मूल्यों, विद्युत दरें, भाड़े की दरों और रेलवाड़ शुल्क तथा अन्य करों जैसे आदानों की लागत में वृद्धि होने के कारण संयुक्त संसद समिति द्वारा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी।

(ग) उपभोक्ता की औसत के आधार पर इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों में वृद्धि निम्नानुसार है :—

कोई वृद्धि नहीं।
520 रुपये से 3220 रुपये प्रति टन के बीच वृद्धि।
(तथापि, .5, .4, और .35 मि. मी. आकार की जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों के मूल्यों में वास्तव में क्रमशः 990 रु., 1670 रु. और 1670 रु. प्रति टन के हिसाब से कमी की गई थी।
20 रुपये से 45 रुपये प्रति टन के बीच वृद्धि।
300 रुपये से 1650 रुपये प्रति टन के बीच वृद्धि।